

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

cm(J)

भोपाल दिनांक 14/10/2019

क्र. एफ 16-12/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एचईजी लि., मण्डीदीप, जिला रायसेन द्वारा रु. 1200 करोड़ के पूंजी निवेश से विस्तार परियोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत विशेष सुविधाओं के पुर्नवलोकन प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएँ दी जावे:-

22.12.19

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले स्थाई पूंजी निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) पर 20% की समान दर अधिकतम सहायता रु. 200.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी। अन्य प्रावधान शर्तों के अध्याधीन।
2. विद्युत शुल्क से छूट - नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. विद्युत टेरिफ में रियायत - रु. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एमपीआईडीसी से प्राप्त कर सकेगी।
4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
5. कम्पनी परियोजना अंतर्गत सड़क परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनो का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
6. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

JE  
14  
21

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(*Signature*)  
(*Dr. Rajesh Rajwani*)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 14/10/2019

पृ.क्रमांक एफ 16-12/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि. भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मे. एचईजी लि. कापोरेट आफिस - भीलवाडा टावर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा- 301301 (एनसीआर-दिल्ली)।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(*Signature*)  
हप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
:: आदेश ::



भोपाल दिनांक 24/06/2019

क्र. एफ 16 -12/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एचईजी लि., मण्डीदीप, जिला रायसेन द्वारा रु. 1200 करोड़ के पूंजी निवेश से विस्तार परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।
2. हरित औद्योगीकरण :- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अनुसार हरित औद्योगीकरण हेतु सहायता शर्तों के अध्याधीन दी जावे।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
4. परियोजना को 132 केव्हीए विद्युत सबस्टेशन, मण्डीदीप, जिला रायसेन से 70 एमव्हीए विद्युत मांग, सामान्य टैरिफ दर पर प्रदाय की जावे ।
5. भूमि आवंटन - कम्पनी को विस्तार परियोजना हेतु औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन में चिन्हित भूमि आवंटन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के प्रावधान अनुरूप की जावे।
6. एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि. के आधिपत्य की भूमि का आवंटन - कंपनी की विस्तार परियोजना पर कंपनी की मांगों पर दिनांक 11.4.2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप ऊर्जा विभाग 5 आवासीय इकाईयों की अनुमानित लागत से एचईजी लिमि. को अवगत करावे। एमपी पीटीसीएल के लिए नवीन आवास बनाने हेतु एमपी आईडीसी लिमि. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला रायसेन में उपयुक्त भूमि चिन्हित कर एचईजी लिमि. को सूचित करेगा, तत्पश्चात कंपनी उस भूमि पर आवास निर्माण कर एमपी पीटीसीएल को सौंपेगी।
7. कंपनी को सन्मति मेटल के प्लॉट को एचईजी के साथ एकीकृत अंग मानते हुए उक्त जमीन को मुख्य कारखाने से जोड़ने हेतु अंडर पास बनाने की अनुमति दी जावे ।
8. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
9. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।

निरंतर .....

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजीव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/06/2019

पृ.क्र. एफ 16 -12/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
5. कलेक्टर जिला रायसेन।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एचईजी लि., Corporate Office:- Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1 Noida - 201301 (NCR - Delhi)  
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

emil D

Pahar  
29.6.2019

52/94  
4/7/19